न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 145 / 2019

सुदर्शन पुत्र श्री बजरंगलाल ग्राम पोस्ट भारू तहसील व जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.09.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 145 / 2019 पर दिनांक 11.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2019 / 1320–21 दिनांक 12.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 2879 दिनांक 19.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र कमांक प.16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2009 / 2019 दिनांक 06.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2019 उपस्थित। अपीलार्थी ने सम्पूर्ण सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा शेष सूचना दिलवाई जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक प.16(4)(5)न्याय / सू.अ. / 2009 / 2019 दिनांक 06.09.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अपीलार्थी की शेष बिन्दुओं की सूचना प्रश्नवाचक होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बाध्यकारी नहीं है। लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में निधारित समय में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुन्झुनू